

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पी आर नीति



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Visit us at : www.aai.aero

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

जन संपर्क विभाग
जन संपर्क – नीतिगत दिशानिर्देश
अगस्त 2012

विषय सूची

1.	प्राक्कथन	
2.	परिचय	
3.	सामान्य दिशानिर्देश	
4.	एन आई टी जारी करने के लिए दिशानिर्देश	
5.	सद्भावना विज्ञापन जारी करने के लिए दिशानिर्देश	
6.	प्रायोजकता के लिए दिशानिर्देश	
7.	उद्घाटन डिस्प्ले एवं विशेष प्रयोजन के विज्ञापनों के लिए दिशानिर्देश	
8.	प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्पोरेट छवि निर्माण एवं एयरपोर्ट के विपणन में भाग लेने के लिए दिशानिर्देश	
9.	आउटडोर प्रचार, मुद्रण एवं अन्य रचनात्मक कार्य के लिए दिशानिर्देश	
10.	जन संपर्क से संबंधित अन्य गतिविधियां	
11.	अनुबंध	

प्राक्कथन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है जिसमें 11 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं 8 सीमा शुल्क एयरपोर्ट तथा 26 सिविल एंक्लेव और 80 घरेलू हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के सभी सिविल हवाई अड्डों पर सी एन एस – ए टी एम सुविधाएं प्रदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपनी एन आई टी, सद्भावना विज्ञापन जारी करना पड़ता है तथा निरंतर जन संपर्क से संबंधित अन्य गतिविधियों को सम्पन्न करना पड़ता है।

इतने बड़े एवं इतनी व्यापक गतिविधियों वाले संगठन को कार्य के प्रमुख क्षेत्रों में औपचारिक नीतिगत दस्तावेज के अभाव के कारण पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, किसी विभागाध्यक्ष द्वारा अपने आबंटित कार्यों के दक्ष एवं प्रभावी निर्वाह के लिए, यह आवश्यक है कि एक सुपरिभाषित दस्तावेज हो जिसमें विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया एवं कसौटी निर्धारित हो जिसमें अन्य बातों के साथ वर्तमान संदर्भ में एन आई टी, डिस्प्ले तथा संभावना विज्ञापन, प्रायोजकता, प्रदर्शनी आदि शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न सी एस आर, खेल कूद एवं जन संपर्क से संबंधित गतिविधियों के लिए अपना सद्भावना विज्ञापन, प्रायोजकता आदि जारी करता रहता है जिसमें समाज के उत्थान तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संवर्धन का उद्देश्य शामिल होता है। इस प्रकार, यह बहुत जरूरी है कि इन गतिविधियों को पारदर्शी एवं अच्छी तरह विहित ढंग से संपन्न किया जाए। इस पी आर नीति दस्तावेज में अपेक्षित पैरामीटर शामिल हैं तथा ऐसी उम्मीद है कि यह ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने में अपने प्रयोक्ताओं का मार्गदर्शन करेगा जहां संरक्षण का कार्य किया जा सकता है, निष्पादन में सुधार हो सकता है तथा मितव्ययिता बरती जा सकती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में लंबे समय से इस प्रकार के नीति दस्तावेज के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि जन संपर्क विभाग ने यह दस्तावेज विकसित किया है, मुझे विश्वास है, आने वाले समय में यह दस्तावेज अपने अभिप्रेत प्रयोजन को पूरा करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, नीति निर्माण गतिशील स्वरूप का कार्य है और समय के साथ ऐसे कारक जो हमारे निर्णय का आधार हो सकते हैं उनको तालमेल स्थापित करने के लिए और संगठन की भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए नीति में पुनः शामिल करने की जरूरत हो सकती है। इसलिए मैं इस दस्तावेज के प्रयोक्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे भविष्य में सुधार एवं समावेश करने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने में संकोच न करें।

इस सुगठित नीति दस्तावेज को प्रकाशित करने के लिए मेरी ओर से महाप्रबंधक (पी आर) को बधाइयां।

(वी पी अग्रवाल)
अध्यक्ष

परिचय

जन संपर्क विभाग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विभिन्न प्रमुख प्रभागों में मानदंड एवं प्रक्रिया विहित करने संबंधी संगठन के अभियान के अंग के रूप में जन संपर्क से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की प्रॉसेसिंग के लिए कसौटियों एवं संकेतकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में प्रयासरत है।

किसी दिशानिर्देश या मापदंड के अभाव में, परियोजनाओं का न केवल प्रबंधन एवं नियंत्रण करना कठिन था, बल्कि कई बार हम अपने प्रस्तावों से सिनर्जी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते थे। विशेष रूप से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथा संभव अधिकतम गतिविधियों के लिए नीति एवं मानदंड स्थापित करना अनिवार्य हो गया है। हमें पता है कि एक अच्छा नीति दस्तावेज प्रस्तावों की न्यायपूर्ण प्रॉसेसिंग में सुविधा प्रदान करता है जिससे आर्थिक एवं लागत प्रभावी निर्णयों का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्तमान “पी आर नीति दिशानिर्देश” दस्तावेज इस दिशा में प्रयास है। विभाग के अंदर लंबे समय से इस तरह के दस्तावेज की आवश्यकता महसूस की जा रही थी तथा इस प्रकार इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की जरूरत थी। नीति दस्तावेज को जन संपर्क विभाग द्वारा विधि, वित्त, वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभाग के साथ विस्तृत विचार – विमर्श करके तथा उनके सुझावों को शामिल करके विकसित किया गया है।

यह पी आर नीति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है और इस प्रकार पी आर नीति के दायरे में शामिल सभी मामलों को प्रॉसेस करते समय इसके प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तथापि, किसी भी संगठन में नीति दस्तावेजों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रकार हम समय के साथ इसमें किसी परिवर्तन / सुधार के लिए इसके प्रयोक्ताओं के सुझावों का स्वागत करते हैं।

सरकार में इस प्रकार के नीति दस्तावेजों के विकास के लिए मैं स्वयं लंबे समय तक कार्य करता रहा हूँ, और वस्तुतः यह मेरा मनपसंद विषय है। इस प्रकार मुझे ज्ञात है कि इस तरह के दस्तावेज के विकास में कितनी अधिक तैयारी, समन्वय एवं कौशल की जरूरत होती है। मैं इतना बढ़िया नीति दस्तावेज प्रकाशित करने के लिए महाप्रबंधक (पी आर) एवं उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, जो एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाने में काफी उपयोगी सिद्ध होगा तथा पारदर्शी एवं दक्षतापूर्ण अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का अनुरक्षण एवं मानकीकरण करने में पी आर विभाग की सहायता करेगा।

(के के झा)
सदस्य (एच आर)

सामान्य दिशानिर्देश

1. सामान्य दिशानिर्देश

- 1.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एन आई टी के प्रकाशन / जारी करने / विभिन्न विज्ञापनों / अभियानों आदि के डिस्प्ले के लिए अखबारों, पत्रिकाओं एवं अन्य पत्रिकाओं का चयन करेगा। इस संबंध में अखबारों एवं अन्य पत्र – पत्रिकाओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया / मानदंड का पालन किया जा सकता है :
- 1.1.1 **प्रभावी परिचालन** : यह सुनिश्चित किया जाए। कि चुने गए प्रकाशनों को समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़े पैमाने पर पढ़ते हैं तथा उसका परिचालन भी व्यापक है। इस प्रकार, सूची को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :
- (क) लघु : ऐसे अखबार एवं पत्रिकाएं जिनका परिचालन क्रमशः 25000 और 1000 प्रति तक है।
(ख) मध्यम : ऐसे अखबार एवं पत्रिकाएं जिनका परिचालन क्रमशः 50000 और 2500 प्रति तक है।
(ग) बड़ा : ऐसे अखबार एवं पत्रिकाएं जिनका परिचालन क्रमशः 75000 और 5000 प्रति है।
(घ) अन्य प्रकाशन जो नागर विमानन से संबंधित हैं या दूरस्थ एवं पिछड़े इलाकों से प्रकाशित हो रहे हैं तथा सामान्य विषयों से संबंधित हैं और अन्य विशेष प्रकाशन जो कार्पोरेट एवं व्यवसाय जगत आदि से संबंधित हैं तथा विशेष डोमेन वाली पत्रिकाएं / स्मारिकाएं, संवर्धन पैकेज प्रदान करने वाले हाल में शुरू किए गए प्रकाशन तथा देशज स्वरूप के विज्ञापन जिन्हें ऊपर उल्लिखित परिचालन के आंकड़ों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- 1.1.2 **प्रकाशन में नियमितता** : विज्ञापन के लिए ऐसी प्रकाशनों को वरीयता दी जाएगी जो नियमित आधार पर प्रकाशित हो रहे हैं तथा कम से कम छः माह तक वर्तमान प्रकाशन में कोई व्यवधान न आया हो; तथापि, स्मारिकाएं या इस प्रकार के अन्य विशेष प्रकाशन / विशेष अंक या तदर्थ प्रकाशन इसके अपवाद हो सकते हैं।
- 1.1.3 **पाठकों / लक्षित श्रोताओं की श्रेणी** : अवसंरचना विकास तथा विमानन से संबंधित अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रकाशनों के लिए समाज के उच्च मध्यम वर्ग पर बल दिया जा सकता है। अन्य गतिविधियों के लिए, जैसे कि जीवन शैली, स्पोर्ट, मनोरंजन, सामाजिक जागरूकता आदि के लिए यह कार्यक्रम के प्रकाशन की विषय वस्तु के अनुपात में होगा। इसके अपवाद में देशज मीडिया एवं स्मारिकाएं अथवा विशेष अंक एवं दूर – दराज के इलाकों में आयोजित घटनाएं शामिल होंगी।
- 1.1.4 **पत्रकारिता संबंधी नैतिकता के अपेक्षित मानकों का पालन** : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मीडिया सूची में शामिल करने के लिए ऐसे प्रकाशनों पर विचार नहीं किया जाएगा जो सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, धार्मिक आदि स्वरूप के होंगे।
- 1.1.5 **उत्पादन मानक** : यह सुनिश्चय किया जा सकता है कि प्रकाशन उपर्युक्त पैरा 1.1.1 में उल्लेख के अनुसार प्रकाशन की श्रेणी के आधार पर गुणवत्ता संबंधी मानकों जैसे कि आवरण पृष्ठ / अंदर के पृष्ठों की गुणवत्ता, रंग, सिलवट आदि का अनुपालन करते हों।

- 1.1.6 **शामिल भाषा तथा क्षेत्र** : यह विज्ञापन की आवश्यकताओं के अनुसार होगा।
- 1.2 विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के लिए अखबारों / मीडिया की संख्या का चयन अनुबंध 1 में दिए गए दिशानिर्देशों तथा समय – समय पर इस संबंध में प्रबंधन द्वारा जारी विशिष्ट अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा।
- 1.3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विजुअल परिचय एवं कार्पोरेट पहचान के लिए, एन आई टी के लिए मानक मास्ट हेड विकसित किया गया है। विभिन्न आयामों, पाठ के आकारों एवं योजनाओं को प्रदर्शित करने वाले मास्ट हेड की प्रति अनुबंध 2 में संलग्न है। सूचना के सारणीकरण एवं आवर्तन से बचते हुए एन आई टी का अभीष्ट आकार प्राप्त करने के लिए फांट के आकार से संबंधित सीमाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
- 1.4 एजेंसी को सौंपने से पूर्व विज्ञापन की अंतिम प्रति के पाठ / विजुअल की समुचित रूप से संवीक्षा की जाए ताकि शुद्धिपत्र जारी करने से बचा जा सके और विज्ञापन की गुणवत्ता बनी रहे। पी आर विभाग विज्ञापन एजेंसियों के साथ बातचीत करेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि मुद्रण के लिए सटीक पाठ / विजुअल दिया जाता है और बाद में कोई शुद्धिपत्र जारी न करना पड़े।
- 1.5 इस प्रकार जारी किए गए विज्ञापन में यदि एजेंसी की ओर से कोई कमी रह जाती है, तो विज्ञापन एजेंसी द्वारा निःशुल्क शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा।
- 1.6 पी आर विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने पर हो रहे खर्चों के लिए बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह पी आर बजट में या संबंधित एयरपोर्ट / परियोजना की संबंधित परियोजना की विकास निधि में या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी अन्य अनुमोदित बजट में परिलक्षित होगा।
- 1.7 डिस्प्ले विज्ञापन की दरें : नियमित डिस्प्ले विज्ञापन की दरों के संबंध में, विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं आदि से दरें प्राप्त की जाएंगी तथा किसी निश्चित अवधि में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सृजित व्यवसाय की मात्रा को ध्यान में रखा जाएगा। एक वर्ष की अवधि के लिए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं संबंधित मीडिया कंपनियों द्वारा परस्पर सहमत अवधि के लिए दरें निर्धारित की जाएंगी। यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं प्रकाशन एजेंसी के बीच ऐसी दर पर सहमति होती है जो प्रकाशित कार्ड दर से भिन्न है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत दरों, विशेष स्थितियों के लिए प्रीमियम, अवधि आदि को शामिल करते हुए इस आशय का एक करार कर सकता है, यदि साधारण पत्र पर्याप्त नहीं हो। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इस पर महाप्रबंधक (पी आर) द्वारा हस्ताक्षर किए जाए।
- 1.8 पी आर विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि एजेंसी विभिन्न मीडिया द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदान की गई छूट दर, यदि कोई हो, के अनुसार प्रभार लगाएगी। इस प्रकार विभिन्न मीडिया द्वारा दी गई सभी छूटों का संकलन अनुरक्षित किया जाएगा तथा अनुबंध 3 में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार उसे समय – समय पर अपडेट किया जाएगा।

- 1.9 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में उस समय प्रचलित नीति के अनुसार एजेंसियों के साथ क्रेडिट के निश्चित प्रतिशत की हिस्सेदारी का प्रयोग किया जाएगा।
- 1.10 विज्ञापन जारी करते समय पी आर विभाग द्वारा विज्ञापन की पृष्ठभूमि, विज्ञापन की अनुमानित लागत, न्यायोचित लागत तथा अधिकारों के प्रत्यायोजन के साथ बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहां भी जरूरत होगी, कार्य सौंपने से पूर्व दरों / लागतों के औचित्य के बारे में पूछताछ की जाएगी।
- 1.11 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्योत्तर संस्वीकृति से बचने के लिए प्रस्तावित विज्ञापन के लिए वित्तीय सहमति एवं अनुमोदन समय से काफी पहले प्राप्त किया जाता है।
- 1.12 जहां भी लागू होगा, सीलबंद लिफाफे विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोले जाएंगे।
- 1.13 सभी निर्मुक्ति (रिलीज) आदेशों पर केवल किसी कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 1.14 मीडिया सूची, जिसमें यथा संभव सीमा तक विज्ञापन जारी किया जाना है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / नागर विमानन मंत्रालय के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
- 1.15 जब भी प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित की जाएंगी, निविदा रजिस्टर के रूप में तुलनात्मक विवरण अनुरक्षित किया जाएगा।
- 1.16 खर्चों की मॉनीटरिंग एवं जवाबदेही के प्रयोजनार्थ, एक बजट रजिस्टर अनुरक्षित किया जा सकता है जो फुटकर खर्च के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को भी उजागर कर सकता है।
- 1.17 पी आर निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन प्रकाशित करने के शीघ्र बाद विज्ञापन से युक्त प्रकाशन (प्रकाशनों) की प्रति प्रस्तुत करें। बिल के साथ अलग से कतरन शीट के दो अन्य सेट भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सभी बिलों के साथ कतरन शीट समेत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, पी आर विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि संबंधित मीडिया में विज्ञापन अनुमोदित अनुसूची, शैली, प्लेसमेंट आदि के अनुसार छपा है, अथवा अन्यथा इसे एजेंसी की निष्पादन रिपोर्ट में दर्शाया जा सकता है।
- 1.18 पैनल में शामिल एजेंसियों से मुफ्त में विज्ञापनों के लिए क्रिएटिव विकसित करने का कार्य कराया जाएगा। तथापि, यदि किसी विशिष्ट विज्ञापन के लिए क्रिएटिव विकसित किया गया होगा, तो उस एजेंसी के माध्यम से उसे मीडिया को जारी किया जा सकता है।
- 1.19 भुगतान के आधार पर विशिष्ट विज्ञापन, होर्डिंग, आडियो विजुअल आदि के लिए क्रिएटिव के विकास के लिए अलग से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

- 1.20 विज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध निर्धारित प्रारूप में प्रॉसेस किया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे – (1) डाटा शीट फार्म 1 / फार्म 2 की एक प्रति; (2) प्रस्ताव से प्राप्त उपयोगिता / लाभ का प्रदर्शन; (3) प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव तथा निधियों की उपलब्धता; (4) परिचालन के आंकड़ों के साथ पत्रिका के प्रकाशन में नियमितता। सद्भावना विज्ञापन के लिए सभी अनुरोध निर्धारित प्रारूप में यथा स्वीकार्य डाटा शीट फार्म 1 या फार्म 2 के माध्यम से प्रॉसेस किए जाएंगे, जहां अध्यक्ष के पास पूर्ण अधिकार हो सकते हैं।
- 1.21 चूक के मामले में चूक करने वाली विज्ञापन एजेंसी पर दंड लगाया जा सकता है, जिसमें बड़े पाठ का प्रयोग, परिहार्य सारणीकरण, बड़े मास्ट हेड का प्रयोग, विज्ञापन अनुसूची का पालन न करने वाले गलत लोगो का प्रयोग आदि शामिल हो सकता है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस प्रकार की चूकों का रिकार्ड रखा जाएगा तथा इस बारे में एजेंसी को सूचित किया जाएगा। पैनल का कार्यकाल बढ़ाते समय या इस प्रकार के अन्य अवसरों पर एजेंसी के निष्पादन का मूल्यांकन करते समय इसकी समीक्षा की जाएगी। दंड रोस्टर जंपिंग के रूप में, वित्तीय या अन्य प्रशासनिक स्वरूप का हो सकता है जिसका निर्णय पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा किया जा सकता है।
- 1.22 असंतोषप्रद कार्य करने के लिए किसी एजेंसी पर दंड : यदि कोई एजेंसी जिसे पी आर विभाग द्वारा कोई कार्य सौंपा गया है तथा वह संतोषप्रद ढंग से कार्य करने में असफल होती है या एजेंसी द्वारा नियुक्त अथवा हायर किया गया कोई व्यक्ति दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लगातार कार्य करने में असफल रहता है या अन्यथा उसे आबंटित कार्य से संबंधित शर्तों एवं निबंधनों के किसी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्ति को क्षति, लापरवाही, कदाचार, अवज्ञा, किसी स्वरूप के लोप आदि के लिए ऐसा दंड लगाया जा सकता है जिसे पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हित के मद्देनजर पी आर विभाग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भावी कार्य आबंटन के लिए उस एजेंसी को पैनल से बाहर करने / ब्लैक लिस्ट करने का कार्य भी कर सकता है।
- 1.23 पी आर विभाग पैनल में शामिल एजेंसियों के निष्पादन की आवधिक आधार पर समीक्षा करेगा तथा चूक करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा, विशेष रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्रिएटिव प्रयास में सक्रियता से शामिल न होने वाली तथा केवल रोटेशन के आधार पर व्यवसाय प्राप्त करने वाली एजेंसियों को फटकार लगाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगातार चूक या लगातार 3 या अधिक बार विभिन्न पी आर कार्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आह्वान का जवाब न देने के लिए उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पैनल से बाहर किया जा सकता है या ऐसा कोई अन्य दंड दिया जा सकता है जो पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा।
- 1.24 विशिष्ट पत्रिकाओं में विज्ञापन जारी करने के लिए अपवाद : सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण मामलों में इस प्रकार के विज्ञापन की अनुमति दी जा सकती है, जो नियमित सक्षम प्राधिकारी से उच्च स्तर का प्राधिकारी हो सकता है। 'विशिष्ट पत्रिकाओं' के अंतर्गत किसी भी विषय क्षेत्र की विशिष्ट / व्यावसायिक पत्रिकाएं, अखबार, प्रकाशन, स्मारिका आदि शामिल हो सकते हैं जिन्हें पिछड़े एवं दूरदराज के इलाकों से प्रकाशित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशन भी शामिल हो सकते हैं। इसके

- अतिरिक्त, परिचालन के आंकड़ों तथा अन्य मानदंडों पर ध्यान दिए बगैर कार्यक्रम / अवसर / प्रकाशन का प्रकार आदि से संबंधित भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की आवश्यकताओं के आधार पर विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं।
- 1.25 इन सामान्य दिशानिर्देशों या स्वयं नीति में किसी मुद्दे के शामिल न होने की स्थिति में, पी आर विभाग के अधिकारी पी आर विभाग के प्रमुख से निर्णय प्राप्त करने के लिए मामले को अलग से उठाएंगे।
- 1.26 तात्कालिक स्वरूप के आबंटित कार्य की समय सीमा का पालन करने के लिए, उनके पिछले निष्पादन तथा पहले निष्पादित किए गए समान कार्य को हैंडल करने में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर पैनल में शामिल एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है। यह नए कोटेशन मंगाए बगैर उपलब्ध पिछली दरों के उद्धरण के आधार पर किया जा सकता है। तथापि, यदि पिछली दरें मान्य न हों तो नई दरें मंगाई जा सकती हैं।
- 1.27 एजेंसियों को भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं भारत सरकार के वर्तमान नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार ई-पेमेंट के माध्यम से जारी किया जा सकता है।
- 1.28 संबंधित प्रबंधकों द्वारा विभिन्न गतिविधियों एवं बजट के प्रयोग का एक एम आई एस अनुरक्षित किया जाएगा। एम आई एस के प्रारूप को पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 1.29 विभिन्न फार्मों, निर्मुक्ति आदेश, रजिस्टर, आदि का मानकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा अपेक्षित होने पर उसे कार्यान्वित करने से पूर्व पी आर विभाग के अनुमोदन के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा इस संबंध आवश्यक संशोधन अग्रणीत किया जाएगा।
- 1.30 पी आर विभाग रिकार्डों, फार्मों, रजिस्ट्रों तथा अन्य सामग्रियों को कंप्यूटरीकृत कर सकता है ताकि समय के साथ पी आर विभाग की रोजमर्रा की गतिविधियों में बेहतर पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित हो।
- 1.31 पी आर विभाग सदस्य (एच आर) / अध्यक्ष के विशिष्ट / पूर्व अनुमोदन से कोई अतिरिक्त कार्य संपन्न कर सकता है जो इस दस्तावेज में सूचीबद्ध नहीं है।

एन आई टी जारी करना

2. निविदा आमंत्रण नोटिस (एन आई टी) जारी करना

कार्पोरेट कार्यालयों के विभिन्न विभागों द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा अखबारों में प्रकाशन के लिए पी आर विभाग को एन आई टी प्रकाशित करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा जाता है जिसके लिए सामान्यतया बहुत कम समय रहता है।

2.1 इस संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :

- (क) मीडिया का चयन / अखबारों की संख्या अनुबंध 1 में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार होगी।
- (ख) जहां संभव होगा, प्रयोक्ता विभाग एक से अधिक निविदा को आपस में मिलाने के लिए प्रयास करेगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब जल्दी – जल्दी अनेक निविदाएं देने की योजना हो। पी आर विभाग समय – समय पर इस संबंध में मितव्ययिता के अनुदेशों की याद दिलाएगा।
- (ग) प्रभावी मीडिया योजना एवं व्यय में किफायत के लिए, प्रयोक्ता विभाग निविदा प्रकाशित करने के लिए पी आर विभाग को कम से कम तीन कार्य दिवस का समय प्रदान करेगा।

2.2 एन आई टी विज्ञापन में मितव्ययिता बरतने के लिए, विभिन्न मीडिया समूहों द्वारा विज्ञापन के इकट्ठे पैकेज पर विचार किया जा सकता है तथा जिन क्षेत्रों को इकट्ठा पैकेज के माध्यम से शामिल नहीं किया जा सकता है उन्हें अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी तथा डी ए वी पी नीति के अनुसार देशज मीडिया शामिल है।

2.3 जहां संभव होगा वहां एन आई टी इंडिया ट्रेड जर्नल (आई टी जे) में भी जारी किया जा सकता है, जो भारत सरकार का एक प्रकाशन है; जहां समय के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति के ठेकेदारों में लोकप्रिय हो सकता है और इस प्रकार अपने विज्ञापन के लिए अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। तथापि, विशेष रूप से आई टी जे के छपने के निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए कुछ अड़चने हैं और इस प्रकार कभी – कभी आई टी जे में एन आई टी छपवाना संभव नहीं होता है; इसलिए जहां संभव होगा वही इसका प्रयोग किया जाएगा।

2.4 इंटरनेट की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, एन आई टी के प्रभावी प्रदर्शन / प्रकाशन के लिए भी इस प्रकार के माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है।

2.5 पैनल में शामिल एजेंसियों के बीच एन आई टी जारी करने का कार्य क्रमिक आधार पर किया जाएगा तथा किसी प्रशासनिक कारण या दण्डात्मक कार्रवाई के रूप में इसमें आई भिन्नता को इस प्रयोजनार्थ अनुरक्षित रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाएगा। रोटेशन रोस्टर तथा केवल भिन्नता को पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

2.6 निविदाओं के प्रकाशन के लिए प्रेस विज्ञापन में मितव्ययिता / किफायत के लिए अनुदेशों पर प्राधिकरण की नीति के अनुसार विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में समय – समय पर जारी अनुदेशों को इस प्रयोजनार्थ संदर्भित किया जाएगा।

सद्भावना विज्ञापन

3. सदभावना विज्ञापन जारी करना

3.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पी एस यू) के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कभी-कभी विभिन्न अखबारों, स्मारिकाओं, कार्पोरेट घरानों की पत्रिकाओं, विभिन्न निकायों, अन्य पी एस यू मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी विभागों की पत्रिकाओं, विभिन्न तकनीकी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों, जन संपर्क निकायों / पत्रकारिता, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (सी बी ओ), जन प्रतिनिधियों तथा विभिन्न स्तरों पर राय निर्माताओं, सी एस आर एवं स्पोर्ट्स संबंधी ए ए आई एवं विभिन्न संगठनों की गतिविधियों में सदभावना विज्ञापन जारी करना पड़ता है, जिसमें वी आई पी / नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध शामिल हैं। ऐसे अनुरोधों को प्रॉसेस करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा :

- (क) सभी आवेदकों से स्टेटस, परिचालन की संख्या, व्यावसायिक निकायों के साथ पंजीकरण, भुगतान की कार्रवाई के लिए बैंक ब्यौरा आदि का मूल्यांकन करने के लिए डाटा शीट फार्म 1 / फार्म 2 अथवा समय - समय पर अभिकल्पित ऐसा अन्य फार्म भरने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
- (ख) सामान्यतया ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (पैरा 3.1) के संबंध में तथा निम्नलिखित के संबंध में विभिन्न प्रकाशनों, पत्रिकाओं, अखबारों, घटनाओं को 6 माह में एक बार सदभावना विज्ञापन जारी किया जा सकता है,
 - i) शिक्षा, भारतीय संस्कृति, समाज में एकजुटता, स्पोर्ट्स, स्वास्थ्य जागरूकता, कला, संगीत, साहित्य, यात्रा एवं पर्यटन, कृषि, योग, ध्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि का संवर्धन,
 - ii) मंत्रालयों, सरकारी विभागों, रक्षा, आय कर, सेवा कर विभाग, पी एस यू आदि से संबंधित गतिविधियां,
 - iii) क्षेत्रीय भाषाओं, राजभाषा एवं देशज प्रेस का संवर्धन,
 - iv) किसी भी क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के बच्चों के प्रयासों तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मान्यताप्राप्त संघों, यूनियनों, गिल्डों आदि से संबंधित कार्यक्रमों का संवर्धन,
 - v) बी पी एल / समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस), बूढ़े बीमार व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, अनाथालयों आदि का उत्थान,
 - vi) स्वास्थ्य सेवाएं, चिरकालिक बीमारियों जैसे कि कैंसर, एच आई वी, टीबी, एड्स समेत औषधि दुरुपयोग, मद्यपान आदि,
 - vii) भारत में ग्रामीण विकास का उत्थान,
 - viii) संपोषणीय पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां तथा सी एस आर से संबंधित अन्य गतिविधियां जिसमें एकीकृत सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन एवं प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल हैं,
 - ix) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की समग्र कार्पोरेट दृश्यता,
 - x) धार्मिक संस्थाओं / निकायों से अनुरोध करना, त्योहार मनाना आदि का अनुरोध करना।
 - xi) स्वास्थ्य, क्रीड़ा, कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, मनोरंजन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, एक्सपेडिशन आदि जैसे क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देना,
 - xii) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर इलेक्ट्रानिक मीडिया, टीवी, रेडियो, एफएम, फिल्म, इंटरनेट में प्रायोजकता के लिए ए ए आई पर आडियो / वीडियो के माध्यम से लोक सूचना सामग्री / संदेश जारी करना,

- xiii) ऊपर उल्लिखित गतिविधियों तथा समाज के समग्र कल्याण से संबंधित गतिविधियों में गैर सरकारी संगठन / सी बी ओ का शामिल होना,
 - xiv) ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के संबंध में संवेदनशीलता कार्यक्रम, व्याख्यान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, जागरूकता शिविर आदि,
 - xv) ऐसे मामले जो पहले ही नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं / संस्तुत किए जा चुके हैं,
 - (ग) आम जनता के समग्र लाभ के लिए प्रकाशन / पत्रिका / स्मारिका / अखबार की अंतर्वस्तु साधारण स्वरूप की होगी। विमानन से संबंधित मीडिया के मामले में अंतर्वस्तु विशेष रूप से एयरपोर्ट अवसंरचना, सी एन एस – ए टी एम, एयरपोर्ट प्रबंधन, विनियामक मुद्दों आदि पर विमानन से संबंधित होगी तथा ऐसे प्रकाशनों को वरीयता दी जा सकती है।
- 3.2.1 25000 रूपए तक के मूल्य वाले सद्भावना विज्ञापन को अनुमोदित करने के लिए सदस्य (एच आर) सक्षम प्राधिकारी होंगे तथा यदि विज्ञापन का मूल्य 25000 रूपए से अधिक होगा, तो प्रत्येक मामले में अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होंगे। वार्षिक सीलिंग अनुमोदित डी ओ पी के अनुसार होगी। समग्र अनुमोदन के लिए, डी ओ पी का अनुसरण किया जाएगा।

प्रायोजकता

4. प्रायोजकता :

- 4.1 सद्भावना विज्ञापनों के लिए पैरा 3.1 तथा पैरा 3.1 (ख) में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रायोजकता पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजकता के लिए विचार किया जा सकता है।
- 4.2 वी आई पी से प्राप्त अनुरोधों / प्रस्तावों पर उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा तथा उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4.3 नैमित्तिक प्रायोजकता के लिए, प्रायोजकता की राशि स्थानीय प्रायोजकता के लिए 2 लाख रूपए के अंदर तथा राष्ट्रीय एवं उच्च स्तरीय प्रायोजकता के लिए 5 लाख रूपए के अंदर हो सकती है। तथापि, अधिक मूल्य की विशेष एवं विशिष्ट प्रायोजकता के लिए अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
- 4.4 आमतौर पर किसी स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए किसी संगठन को एक कलेंडर वर्ष में एक बार प्रायोजकता मंजूर की जाएगी; तथापि, इस संबंध में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है।

उद्घाटन डिस्प्ले

तथा

विशेष प्रयोजन

के

विज्ञापन

5. उद्घाटन डिस्प्ले एवं विशेष प्रयोजन के विज्ञापन जारी करना :

- 5.1 विज्ञापन के प्रयोजन के आधार पर, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का उद्घाटन डिस्प्ले विज्ञापन या विशेष प्रयोजन विज्ञापन हो सकता है, पहली प्राथमिकता यह होगी कि नागर विमानन मंत्रालय / भारत सरकार के लोगो के अंतर्गत डी ए वी पी की दर पर विज्ञापन जारी किया जाए।
- 5.2 तथापि, जहां डी ए वी पी की दरें संभव नहीं होंगी, वहाँ विज्ञापन विशेष छूट की वाणिज्यिक दरों, यदि कोई हो, पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से जारी किया जाएगा। वाणिज्यिक दरों पर डिस्प्ले विज्ञापन जारी करते समय (जहां डी ए वी पी की दरें संभव नहीं हैं), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट मीडिया द्वारा यथा प्रस्तुत छूट पैकेज का उपयोग किया जाएगा। विज्ञापन के आकार एवं मात्रा को ध्यान में रखते हुए यह एन आई टी जारी करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत नियमित दर से भिन्न हो सकता है।
- 5.3 इस संबंध में किफायत बरतने के लिए, अखबारों / मीडिया की संख्या आमतौर पर मिश्रित आकार (आधा और एक चौथाई), रंगीन तथा ब्लैक एंड ह्वाइट आदि होगी। तथापि, यह आबंटित बजट के अंदर होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाएं तथा देशज मीडिया शामिल होंगे। इस संबंध में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा।
- 5.4 विज्ञापन का आकार वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के चित्रों पर प्रयोग के स्टेटस, विज्ञापन के प्रयोजन, किफायत आदि पर निर्भर होगा तथा इसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जा सकता है।
- 5.5 छोटे एवं मझोले अखबारों तथा अन्य देशज मीडिया को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन ऐसी मीडिया को जारी किया जा सकता है जिनका परिचालन स्थानीय / क्षेत्रीय स्तर पर 1000 प्रति तथा अखिल भारत स्तर पर 2500 प्रति से कम नहीं हो।
- 5.6 विज्ञापन के लिए डिजाइन शुरू में एक विधिवत गठित एवं अनुमोदित समिति द्वारा चुना जाएगा। इस समिति में पी आर, वित्त एवं प्रयोक्ता विभाग के प्रतिनिधि होंगे।
- 5.7 पैनल में शामिल एजेंसियों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को डिस्प्ले विज्ञापन के लिए क्रिएटिव डिजाइन प्रस्तुत की जाएगी। चुनी गई 3-4 सर्वोत्तम डिजाइनों / क्रिएटिव को निर्दिष्ट समिति द्वारा चुना जाएगा और इसके बाद यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्ति हो जाएगी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उसमें और सुधार करने के लिए हकदार होगा। अंतिम डिजाइन का चयन करने या उसमें और सुधार के लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए इन डिजाइनों को अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। सुझाव के अनुसार डिजाइन में सुधार किए जाएंगे। अध्यक्ष / नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विज्ञापन अनुमोदित हो जाने के बाद उस एजेंसी के माध्यम से उसे जारी किया जाएगा जिसकी डिजाइन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है।

- 5.8 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विज्ञापन जारी करने के लिए शुरू में प्रस्तावित राशि आमतौर पर मूल अनुमानित बजट के 10 प्रतिशत (+ / -) से अधिक नहीं होगी जब तक कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचित न किया गया हो तथा वह उपयुक्त ढंग से प्रलेखित न हो।
- 5.9 संबद्ध प्रबंधक द्वारा नागर विमानन मंत्रालय या किसी अन्य नियंत्रण प्राधिकारी के सभी दिशानिर्देशों को लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा या उसे उपयुक्त ढंग से प्रलेखित किया जाएगा, सीलबंद किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रदर्शनी, सेमिनार

और

कार्पोरेट छवि निर्माण

6. प्रदर्शनी, सेमिनार, कार्पोरेट छवि निर्माण एवं एयरपोर्ट का विपणन :

- 6.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे सेमिनारों, सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों में भाग ले सकता है जो मोटे तौर पर यहां 3.1 एवं 3.1 (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों से संबंधित होती हैं तथा विशेष रूप से एयरपोर्ट, नागर विमानन, अवसंरचना, सिविल निर्माण, सी एन एस – ए टी एम प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा एवं संरक्षा, कार्गो विकास, एयरपोर्ट वित्त, संपोषणीयता, सी एस आर तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यों के विशेष क्षेत्रों तथा सामान्य रूप से नागर विमानन से संबंधित हैं। तथापि, विशेष / विशिष्ट क्षेत्रों में भागीदारी अध्यक्ष के अनुमोदन के अनुसार हो सकती है।
- 6.2 स्थान किराए पर देने के अलावा, प्रचलित बाजार दर पर प्रदर्शनी में भाग लेने की लागत आम तौर पर भारत में प्रदर्शनी के लिए 10 लाख रूपए के अंदर तथा विदेश में प्रदर्शनी के लिए 25-30 लाख रूपए के अंदर होगी। तथापि, यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मेजबान देश को आबंटित स्थान के अनुपात में होगी। इस संबंध में अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार होगा।
- 6.3 विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मंडप को खड़ा करने / लगाने के लिए क्रिएटिव डिजाइन निगमित मुख्यालय के पैनल में शामिल एजेंसियों और/या संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय के पैनल में शामिल एजेंसी से शुरु की जा सकती है। अनुमोदित समिति द्वारा 3-4 सर्वोत्तम डिजाइनों / क्रिएटिव का चयन किया जाएगा जो चयन के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्ति हो जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसमें और सुधार कराने का हकदार होगा। अंतिम चयन के लिए या और सुधार के लिए निर्देश प्राप्त करने के लिए इन डिजाइनों को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनके द्वारा सुझाए गए संशोधन किए जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार विकसित मॉडल डिजाइन को वित्तीय कोटेशन के लिए भाग लेने वाली तथा तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (एल 1) को कार्य सौंपा जाएगा। तथापि, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के मामले में जहां विभिन्न स्टैकहोल्डर शामिल होंगे / भाग ले रहे होंगे, यह नियंत्रण प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा।
- 6.4 एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी से प्रदर्शनी / कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए प्रदर्शनी के पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसे पी आर विभाग के प्रमुख द्वारा घोषित किया जाएगा तथा उसका निर्मुक्ति आदेश में उल्लेख किया जाएगा। यदि कार्य को संतोषप्रद नहीं पाया जाएगा, तो विभागाध्यक्ष द्वारा उपयुक्त दंड लगाया जा सकता है तथा यह पैनल से बाहर करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

आउटडोर प्रचार, मुद्रण
एवं
अन्य रचनात्मक कार्य

7. आउटडोर प्रचार, मुद्रण एवं अन्य रचनात्मक कार्य :

- 7.1 प्रचार सामग्री, जिसमें मुद्रण कार्य, आउटडोर प्रचार, पैनल, इशतहार, स्टैंडीज, पोस्टर, झंडे, हैंगिंग गुब्बारे, एल ई डी डिस्प्ले, ट्रांसलाइट सामग्री, लाइट डिस्प्ले बोर्ड, कलेंडर, डायरी, ग्रीटिंग कार्ड, निमंत्रण पत्रों का मुद्रण, ब्रोशर, बुकलेट, बैनर, बैज, स्टीकर, मोमेंटो, गिफ्ट आइटम, मीडिया / कंफ्रेंस किट आदि समेत कलात्मक एवं सौंदर्यबोधक कार्य शामिल होता है, को मामला दर मामला आधार पर हैंडल किया जाएगा तथा जरूरत के अनुसार, पैनल में शामिल एजेंसियों के अलावा संबंधित क्षेत्र की एजेंसियों / व्यक्तियों की सहायता ली जा सकती है / उन्हें सहयोजित किया जा सकता है।
- 7.2 समय – समय पर बाजार से अक्सर किए जाने वाले कार्य के लिए मदवार न्यूनतम दरें प्राप्त की जाएंगी तथा एच ओ डी के अनुमोदन से उन्हें उपयुक्त एजेंसियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, कार्य के तात्कालिक एवं समयबद्ध स्वरूप से निपटने के लिए, एजेंसी के पिछले संतोषप्रद निष्पादन के आधार पर एच ओ डी के अनुमोदन से कार्य तर्कसंगत दरों पर किसी उपयुक्त एजेंसी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

पी आर से संबंधित
अन्य गतिविधियां

8. पी आर से संबंधित अन्य गतिविधियां :

- 8.1 पी आर विभाग को सौंपे गए तदर्थ कार्यों को संपन्न करने के लिए जनशक्ति की तैनाती : पी आर विभाग को सौंपे गए विभिन्न तदर्थ कार्यों के लिए, कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार की जनशक्ति संबंधी आवश्यकता को प्रचलित न्यूनतम दर पर पैनल में शामिल किसी एजेंसी से या ऐसी किसी एजेंसी से पूरा किया जा सकता है जिसकी वैध प्रतिस्पर्धी दरें होंगी। यह कार्य पी आर विभाग के प्रमुख के अनुमोदन से किया जाएगा।
- 8.2 ऐसी मदें जो पी आर नीति में शामिल नहीं हैं : ऐसी किसी मद को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी होंगे जो पी आर नीति में शामिल नहीं है या जहां सक्षमता परिभाषित नहीं है।
-

अनुबंध

- अनुबंध I - एन आई टी के लिए नमूना मीडिया प्लान विकल्प
अनुबंध II - एन आई टी विज्ञापन के लिए नमूना
अनुबंध III - (क) मीडिया द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत वर्तमान छूट
(ख) पत्रिकाओं की सूची

एन आई टी के लिए नमूना मीडिया प्लान विकल्प
(अप्रैल 2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	मीडिया / प्रकाशन	आकार 8 x 4 सेमी	धनराशि
बजट विकल्प (स्थानीय मीडिया)			
1.	इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, जनसत्ता		24,696 रूपए
2.	एशियन एज, दि हिंदू, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी, डेक्कन हेराल्ड – पूरी दिल्ली में प्रकाशित		27,012 रूपए
3.	पायनियर, मेल टूडे, अमर उजाला, महामेधा		54,295 रूपए
4.	इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी		57,645 रूपए
5.	हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण		67,790 रूपए
6.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट		74,087 रूपए
7.	टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स		79,731 रूपए
8.	टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी + अंग्रेजी)		91,708 रूपए
बजट विकल्प (अखिल भारत)			
1.	इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, डेक्कन क्रोनिकल (दक्षिण), सेंटिनल, हिंदी + अंग्रेजी, दैनिक जागरण, मातृभूमि		1,61,350 रूपए
2.	टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, महाराष्ट्र टाइम्स, सेंटिनल (गुवाहाटी) हिंदी + अंग्रेजी, डेक्कन हेराल्ड		2,42,478 रूपए
3.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, सेंटिनल (गुवाहाटी), हिंदू इंडिया ट्रेड जर्नल		2,59,591 रूपए
4.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, सेंटिनल – हिंदी + अंग्रेजी, डी एन ए – मुंबई, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चरदिकाला, टेलीग्राफ, इंडिया ट्रेड जर्नल		2,97,873 रूपए
बजट विकल्प (वैश्विक)			
1.	डेक्कन क्रोनिकल – चेन्नई, एशियन एज, (संपूर्ण + लंदन), डी एन ए – मुंबई, टेलीग्राफ – कोलकाता, दैनिक जागरण – दिल्ली, हिंदू –		1,48,337 रूपए

	दिल्ली, नवभारत-मुंबई		
2.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, एशियन एज (लंदन), सेंटिनल-अंग्रेजी+हिंदी, बिजनेस स्टैंडर्ड		2,17,597 रूपए
3.	इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज (लंदन), आनंद बाजार पत्रिका, असम ट्रिब्यून, राष्ट्रीय सहारा, इंडिया ट्रेड जर्नल		2,23,087 रूपए
4.	डेक्कन क्रोनिकल, फाइनेंसियल क्रोनिकल, एशियन एज (संपूर्ण+लंदन), टेलीग्राफ, असम ट्रिब्यून, बिजनेस स्टैंडर्ड-अंग्रेजी+हिंदी, डी एन ए, दैनिक जागरण		2,41,875 रूपए
बजट विकल्प (भर्ती विज्ञापन के लिए)			
1.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, हिंदी, सेंटिनल-अंग्रेजी+हिंदी, दैनिक जागरण, रोजगार समाचार	आकार 8 x 6	3,77,369 रूपए
2.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, हिंदू, सेंटिनल-अंग्रेजी+हिंदी, डीएनए-मुंबई, टेलीग्राफ-कोलकाता, दैनिक जागरण - दिल्ली, रोजगार समाचार	आकार 8 x 9	6,50,541 रूपए
3.	हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, हिंदू, सेंटिनल - अंग्रेजी + हिंदी, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जनवाणी	आकार 8 x 10	9,90,115 रूपए

बजट विकल्प (समारोहों जैसे कि उद्घाटन एवं अन्य विशेष समारोह के लिए डिस्ले विज्ञापन)

माननीय नागर विमानन मंत्री जी द्वारा लखनऊ एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए मीडिया का नमूना

क्र. सं.	समाचार पत्र	आकार	संस्करण
1.	हिंदुस्तान टाइम्स	½ पेज रंगीन	लखनऊ
2.	हिंदुस्तान	½ पेज रंगीन	लखनऊ
3.	टाइम्स ऑफ इंडिया	½ पेज रंगीन	दिल्ली, लखनऊ
4.	इंडियन एक्सप्रेस	½ पेज रंगीन	लखनऊ
5.	दि पायनियर	½ पेज रंगीन	लखनऊ
6.	राष्ट्रीय सहारा	½ पेज रंगीन	लखनऊ
7.	दैनिक जागरण	½ पेज रंगीन	लखनऊ, मेरठ
8.	दैनिक जनवाणी	½ पेज रंगीन	सभी संस्करण
9.	मुल्तानी टुडे	½ पेज रंगीन	सभी संस्करण
10.	डी एल ए	½ पेज रंगीन	दिल्ली, आगरा, मेरठ, झांसी

11.	हिंदुस्तान	¼ पेज रंगीन	दिल्ली, आगरा, बरेली, मेरठ
12.	दैनिक जागरण	½ पेज रंगीन	यूपी संस्करण
13.	अमर उजाला	¼ पेज रंगीन	यूपी संस्करण
14.	रोजनामा	½ पेज रंगीन	लखनऊ
15.	दिनमानी	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	चेन्नई
16.	निष्पक्ष प्रतिदिन	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
17.	आज	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
18.	राहत टाइम्स	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
19.	स्वतंत्र चेतन	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ, फैजाबाद
20.	यूनाइटेड भारत	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
21.	राष्ट्रीय स्वरूप	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
22.	शाफत	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
23.	जनमोर्चा	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद
24.	स्वतंत्र भारत	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
25.	राष्ट्रीय लोकमानस	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	दिल्ली
26.	नवसत्ता	¼ पेज ब्लैक एंड ह्वाइट	लखनऊ
27.	वाइस ऑफ लखनऊ	¼ पेज ब्लैक एण्ड वाइट	लखनऊ
28.	स्वमत	¼ पेज ब्लैक एण्ड वाइट	लखनऊ
29.	डेली न्यूज एक्टिविस्ट	¼ पेज ब्लैक एण्ड वाइट	लखनऊ / पश्चिमी उत्तर प्रदेश
30.	श्री टाइम्स	¼ पेज ब्लैक एण्ड वाइट	संपूर्ण उत्तर प्रदेश
	कुल राशि		14,77,745 रूपए

बजट विकल्प (विशेष समारोहों के लिए डिस्प्ले विज्ञापन)

नागरिक विमानन के शताब्दी समारोह पर आधारित मीडिया का नमूना

क्र. सं.	समाचार पत्र	आकार	संस्करण
31.	टाइम्स ऑफ इंडिया	½ पेज रंगीन	दिल्ली
32.	हिंदुस्तान टाइम्स	½ पेज रंगीन	दिल्ली
33.	हिंदुस्तान	½ पेज रंगीन	दिल्ली, आगरा, लखनऊ, मेरठ
34.	इंडियन एक्सप्रेस	½ पेज रंगीन	दिल्ली
35.	इकॉनॉमिक टाइम्स	½ पेज रंगीन	दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद
36.	डी एन ए	½ पेज रंगीन	मुंबई
37.	हिंदू	½ पेज रंगीन	चेन्नई
38.	डेक्कन क्रोनिकल	½ पेज रंगीन	हैदराबाद
39.	दैनिक जागरण	½ पेज रंगीन	मेरठ, दिल्ली, कानपुर
40.	दैनिक जागरण	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	लखनऊ, आगरा
41.	राष्ट्रीय सहारा	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	दिल्ली, लखनऊ
42.	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	दिल्ली, चंडीगढ़
43.	बिजनेस स्टैंडर्ड	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	दिल्ली, कोलकाता, मुंबई
44.	पायनियर	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	दिल्ली, लखनऊ
45.	नई दुनिया	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	रायपुर, गाजियाबाद
46.	अमर उजाला	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	आगरा, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, दिल्ली
47.	इंकलाब	¼ पेज ब्लैक एंड वाइट	मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, मुरादाबाद
		कुल राशि	17,09,361 रूपए

विज्ञापन जारी करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पैरामीटरों का नमूना

1. परिचालन
2. पाठकगण
3. पाठकगण एवं परिचालन का अनुपात
4. कार्ड दर
(क) पूरा पृष्ठ रंगीन
(ख) बैक कवर
(ग) फ्रंट / बैक इनसाइड
5. 1-2 इंसर्ट के लिए वार्ताकृत दर
(क) पूरा पृष्ठ रंगीन
(ख) बैक कवर
(ग) फ्रंट / बैक इनसाइड
6. 6 या अधिक इंसर्ट के लिए वार्ताकृत दर
(क) पूरा पृष्ठ रंगीन
(ख) बैक कवर
(ग) फ्रंट / बैक इनसाइड
7. वार्ताकृत दर अनुपात
(क) परिचालन
(ख) पाठकगण
8. मेट्रो बनाम राष्ट्रीय पाठकगण अनुपात
9. देशज स्टेटस
10. राजभाषा नीति

8 x 4 सेमी के निविदा विज्ञापन का नमूना

मास्ट हेड हिंदी

नारद फांट आकार – 15 प्वाइंट

मास्ट हेड अंग्रेजी

एरियल फांट आकार – 9.4 प्वाइंट

हेडलाइन

एरियल फांट आकार – 9 प्वाइंट

बॉडी कापी

एरियल फांट आकार – 7.5 प्वाइंट

वैकल्पिक

एरियल फांट आकार – 6.2 प्वाइंट

मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विभिन्न मीडिया द्वारा प्रस्तुत वर्तमान छूट

क्रम सं.	समाचार पत्र का नाम	संस्करण	कार्ड दर पर छूट
1.	टाइम्स ऑफ इंडिया नवभारत टाइम्स महाराष्ट्र टाइम्स मुंबई मिरर	अहमदाबाद, बंगलौर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, मंगलौर, मैसूर, नागपुर, पुणे, भोपाल, कोच्चि, दिल्ली, मुंबई मुंबई, औरंगाबाद, नासिक, पुणे मुंबई, पुणे, बंगलौर, अहमदाबाद	5 प्रतिशत – सभी संस्करण 5 प्रतिशत – एकल संस्करण
2.	हिंदुस्तान टाइम्स	दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, रांची, भोपाल, मुंबई, कोलकाता दिल्ली, देहरादून, पटना, इलाहाबाद, धनबाद	10 प्रतिशत – सभी संस्करण 5 प्रतिशत – एकल संस्करण
	हिंदुस्तान	मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर	
	मिट	दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद	
3.	इंडियन एक्सप्रेस	दिल्ली, पुणे, नागपुर, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, वडोदा, अहमदाबाद, जम्मू	43.58 प्रतिशत – सभी संस्करण 30.59 प्रतिशत – स्थानीय
	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, अहमदाबाद	
	जनसत्ता	दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ	
4.	न्यू इंडियन एक्सप्रेस	चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर, त्रिची, बंगलौर, बेलगाम, शिमोगा, कोच्चि, कोझीकोड, हैदराबाद, त्रिरुवंतपुरम, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, मदुरै, चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची, वेल्लूर, धरमपुरी, त्रिरुनेलवल्ली	26.82 प्रतिशत
	दीनामनी (तमिल)	मंगलौर, बंगलौर, बेलगाम, शिमोगा, गुलबर्ग, हुबली	14.17 प्रतिशत
	कन्नड़ प्रभा	दिल्ली	16 प्रतिशत
	दि संडे स्टैंडर्ड	संपूर्ण प्रकाशन	11 प्रतिशत
	न्यू इंडियन एक्सप्रेस +		28 प्रतिशत

	दीनामनी + कन्नड़ प्रभा + दि संडे स्टैंडर्ड		
5.	दैनिक जागरण	जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली + एन सी आर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश	15 प्रतिशत – सभी संस्करण 10 प्रतिशत – एकल संस्करण
6.	राष्ट्रीय सहारा	दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, कानपुर, वाराणसी, देहरादून	22 प्रतिशत – सभी संस्करण 23 प्रतिशत – स्थानीय संस्करण
7.	डी एन ए	मुंबई बंगलौर पुणे	75 प्रतिशत 70 प्रतिशत 53 प्रतिशत
8.	पायनियर	दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, रांची, देहरादून, रायपुर	8 प्रतिशत – सभी संस्करण 4 प्रतिशत – स्थानीय संस्करण
9.	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी)	दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई कोच्चि, हैदराबाद	8 प्रतिशत – सभी संस्करण
	बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी)	पटना, रायपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई	
10.	देशबंधु	दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	62.56 प्रतिशत – सभी संस्करण 75 प्रतिशत – स्थानीय संस्करण
11.	महामेधा	दिल्ली एन सी आर	54.54 प्रतिशत – सभी संस्करण 66.6 प्रतिशत – स्थानीय संस्करण
12.	मेल टुडे	दिल्ली	55 प्रतिशत
13.	नफा नुकसान	जयपुर	50 प्रतिशत
14.	डेक्कन क्रोनिकल	हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोच्चि, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नल्लोर, करीमनगर, अनंतपुर, राजामुंद्रै, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, दिल्ली, मुंबई	45 प्रतिशत सभी संस्करण
	फाइनेंसियल क्रोनिकल	मुंबई, दिल्ली, कोलकाता	
	एशियन एज	लंदन	
	एशियन एज		12.5 प्रतिशत
15.	रोजाना स्पोक्समैन	पंजाब	35 रूपए डीएवीपी
16.	राहत टाइम्स	लखनऊ	23.90 रूपए डीएवीपी
17.	डेली एक्सप्रेस	जम्मू	10 प्रतिशत
18.	लोकमत	नागपुर, अकोला, जलगांव, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सोलापुर, कोल्हापुर, मुंबई, गोवा, नागपुर,	10 प्रतिशत
	लोकमत समाचार –	नागपुर, औरंगाबाद, अकोला, कोल्हापुर,	10 प्रतिशत

	लोकमत टाइम्स	नागपुर औरंगाबाद	10 प्रतिशत
19.	आज समाज	दिल्ली, अंबाला (चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली)	42.30 प्रतिशत – सभी संस्करण 56.52 प्रतिशत – स्थानीय संस्करण
20.	दिव्या हिमाचल	धर्मशाला, शिमला, चंडीगढ़	10 प्रतिशत
21.	वर्था (तेलुगु)	हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजामुंद्रे, अंगलूर, नल्लूर, वारंगल, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, खम्मम, त्रिरुपति, कुड्डपाह, अनंतपुर, करनोल, नालगोंडा, गुंटूर, टेडेपल्लीगुडम, श्रीकाकुलम	10 प्रतिशत
22.	चरदी कला (पंजाब)	पटियाला, दिल्ली	25 प्रतिशत
23.	पंजाब केसरी	पंजाब	12.3 प्रतिशत
	पंजाब केसरी	दिल्ली	44 प्रतिशत
24.	प्रातःकाल	दिल्ली, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, मुंबई	202.12 रूपए – डी ए वी पी
25.	साकाल (अंग्रेजी एवं मराठी अखबार)	पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, नागपुर, सतारा	15 प्रतिशत
26.	डेक्कन हेराल्ड	बंगलौर, हुबली, मंगलौर, मैसूर, गुलबर्ग, देवनगेरे	15 प्रतिशत
	डेक्कन हेराल्ड	दिल्ली	50 प्रतिशत
27.	प्रजावाणी (कन्नड़)	बंगलौर, हुबली, मंगलौर, मैसूर, गुलबर्ग, देवनगेरे	15 प्रतिशत
		दिल्ली	
28.	हेराल्ड यंग लीडर (हिंदी)	सूरत, बडोदरा अहमदाबाद	46.20 रूपए – डी ए वी पी 45.22 रूपए – डी ए वी पी 54.43 रूपए – डी ए वी पी
29.	हिंदुस्तान एक्सप्रेस	रेवा, भोपाल, ग्वालियर	डी ए वी पी
30.	अमर उजाला	यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, जम्मू, जालंधर	20 प्रतिशत
31.	सही खबर	रेवा, भोपाल, दिल्ली	25 रूपए – एकल संस्करण 50 रूपए – सभी संस्करण
32.	विराट वैभा	दिल्ली + एन सी आर	10 प्रतिशत
33.	नवा भारत	मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, रायपुर, अमरावती	30 प्रतिशत
34.	दैनिक नवज्योति	अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर	73.20 प्रतिशत – सभी संस्करण
35.	जागरूक टाइम्स	मुंबई, जयपुर, उदयपुर, पुणे, सिरोही	25 प्रतिशत
36.	नई दुनिया	इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर	14.20 प्रतिशत

37.	राज एक्सप्रेस	भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर	40 प्रतिशत – एकल संस्करण 60 प्रतिशत – सभी संस्करण
38.	हरी भूमि	रायपुर, बिलासपुर, जबलपुर, रोहतक, दिल्ली	25 प्रतिशत 100 रूपए
39.	टेलीग्राफ	कोलकाता	10 प्रतिशत
40.	आनंद बाजार पत्रिका (बंगाली) टेलीग्राफ + आनंद बाजार पत्रिका (दोनों)	कोलकाता कोलकाता	10 प्रतिशत 17 प्रतिशत + 5 प्रतिशत
41.	मिड डे	मुंबई, पुणे	50 प्रतिशत
42.	मिलेनियम पोस्ट	दिल्ली	60 प्रतिशत
43.	नेशनल दुनिया	दिल्ली	50 प्रतिशत
44.	अजीत (पंजाबी) अजीत समाचार (हिंदी)	पूरे पंजाब	15 प्रतिशत
45.	पोलिटिकल बिजनेस डेली	दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा	66 प्रतिशत
46.	हिंदू (दक्षिण)	चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिरुचिरापल्ली, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बंगलौर, मंगलौर, थिरुवनंतपुरम, कोच्चि, दिल्ली, कोलकाता,	12 प्रतिशत
47.	दैनिक भास्कर	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, दिल्ली	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत
48.	कश्मीर इमेजेज	जम्मू एवं कश्मीर	10 प्रतिशत
49.	सेंटिनल (अंग्रेजी एवं हिंदी)	गुवाहाटी	28.5 प्रतिशत

टिप्पणी : वर्तमान छूट में किसी समय परिवर्तन हो सकता है क्योंकि ये छूटें स्वैच्छिक रूप से प्रकाशनों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकाशनों की उपर्युक्त सूची केवल सांकेतिक है, विभिन्न मीडिया द्वारा प्रस्तुत डिस्काउंट के आधार पर प्रकाशनों की संख्या बढ़ सकती है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पत्रिकाओं की सूची

(क) विमानन से संबंधित

(I) नगर विमानन

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	प्रकाशन	भाषा	आवधिकता	परिचालन संख्या
(i) नागरिक विमानन					
1	कार्गो कनेक्ट	मैसर्स सरकॉम मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	20,000
2	एयरपोर्ट इंटरनेशनल मैगजीन	मैसर्स पीडीए ट्रेड मीडिया	अंग्रेजी	द्विमाही	60,00
3	कार्गो टाक	मैसर्स दुर्गा दास पब्लिकेशन	अंग्रेजी	मासिक	43,500
4	क्रसिंग हाइट मैगजीन	न्यूजलाइन	अंग्रेजी	मासिक	41,000
5	फ्लाइट इंटरनेशनल	फ्लाइटग्लोबल	अंग्रेजी		
6	एविएशन वीक	हैमिल्टन	अंग्रेजी		
7	एसपी एविएशन	एसपी गाइड पब्लिकेशन	अंग्रेजी	मासिक	
8	आई एम ए – सी एफ ओ कनेक्ट	इंटरनेशनल मार्केट एसेसमेंट इंडिया	अंग्रेजी	–	–
9	आई सी ए ओ	इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गेनाइजेशन	अंग्रेजी	–	–
10	एयरलाइन बिजनेस	रीड बिजनेस इंफार्मेशन	अंग्रेजी	–	–
11	आई एच एस जेन एयरपोर्ट रिव्यू	आई एच एस	अंग्रेजी	–	–
12	एयर एंड स्पेस लॉ	क्लूवर लॉ इंटरनेशनल	अंग्रेजी	–	–
13	एयरपोर्ट वर्ल्ड	ए सी आई	अंग्रेजी	–	–
14	एफआईपी जर्नल	टाइटन कॉम	अंग्रेजी	–	–
15	ए टी डब्ल्यू	(एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड)	अंग्रेजी	–	–
16	कोऑर्डिनेट	गेइंफार्मेशन	अंग्रेजी	–	–
(ii) रक्षा					
1	पर्पल बेरट	मै. बेरट मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	5,000
2	वायु	दि सोसाइटी फॉर एयरोस्पेस स्टडीज	अंग्रेजी	द्विमाही	20,000

3	एरोमैग	एरोसन मीडिया	अंग्रेजी	द्विमाही	7,000
4	रक्षा एवं प्रौद्योगिकी	ग्रेविटास पब्लिशर्स	अंग्रेजी	—	—
5	डिफेंस डाइजेस्ट	डिफेंस डाइजेस्ट	अंग्रेजी	द्विमाही	4800
6	एशिया डिफेंस न्यूज	कर्नल पी एन खेड़ा	अंग्रेजी	—	—
(iii) यात्रा एवं पर्यटन					
1	डिस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड	मै. डिस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड	अंग्रेजी	मासिक	50000
2	ट्रेवल ट्रेड जर्नल	मै. संपन मीडिया	अंग्रेजी	स्पेशल सप्लीमेंट्री	32000
3	पाटा कैंपस		अंग्रेजी	द्विमाही	28000
4	ट्रेवल मेल		अंग्रेजी		
5	परफेक्ट मीडिया टाइमटेबल	परफेक्ट मीडिया	अंग्रेजी		
6	दि लिंक	निखिल मोदी	अंग्रेजी	मासिक	19000

(ख) विमानन से भिन्न :

(i) करंट अफेयर

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	प्रकाशन	भाषा	आवधिकता	परिचालन संख्या
1	रिसोर्स डाइजेस्ट	मैसर्स फ्रंट रॉ मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	33,399
2	न्यूज आई	एस सी कौशिक	अंग्रेजी	मासिक	30,804
3	न्यूज स्ट्रीट		अंग्रेजी	पाक्षिक	91,200
4	मीडिया ओपिनियन	मीडिया वर्ल्ड	अंग्रेजी	तिमाही	24,000
5	राष्ट्रीय प्रसंग		अंग्रेजी	मासिक	8,500
6	वामा		अंग्रेजी	मासिक	1,03,930
7	उदय इंडिया	दीपक कुमार रथ	अंग्रेजी		
8	दि संडे इंडियन	पाल्मैन	अंग्रेजी	साप्ताहिक	27,365
9	लोकायत	श्री मां प्रकाशन	हिंदी	पाक्षिक	90,000
10	इंडिया टुडे	दि इंडिया टुडे ग्रुप	अंग्रेजी	साप्ताहिक	4,50,000
11	जेटगिस्ट एशिया	दिवान	अंग्रेजी	—	—
12	हार्ड न्यूज	अर्चना कपूर	अंग्रेजी	—	42,000
13	गवर्नर्स नाउ	मार्कंड अधिकारी	अंग्रेजी	—	30,000
14	इंडियन ड्रीम	मधु के श्रीवास्तव	अंग्रेजी	—	25,000
15	संचार टाइम्स	एस के जैन	हिंदी	—	—
16	ओजस्विनी	वसुधा पब्लिकेशन	हिंदी		65,000
17	राष्ट्रीय प्रसंग		हिंदी	मासिक	8,500
18	विश्व पत्रकार सदन		हिंदी	मासिक	40,000
19	नेशनल डेवलपमेंट स्पेशल पत्रकार सदन		हिंदी	तिमाही	5,000
20	आज का अध्ययन		हिंदी	—	22,400
21	रिसोर्स डाइजेस्ट	फ्रंट राउ मीडिया		—	—
22	फ्रंटलाइन	कस्तूरी एंड संस लि.	अंग्रेजी	मासिक	—
23	दि संडे इंडियन	पाल्मैन मीडिया	अंग्रेजी	साप्ताहिक	27,365
24	आउटलुक	आउटलुक पब्लिशिंग प्रा.	हिंदी	मासिक	1,50,000
25	आउटलुक	आउटलुक पब्लिशिंग प्रा.	अंग्रेजी	साप्ताहिक	3,00,000
26	इंडिया टुडे	दि इंडिया टुडे ग्रुप	हिंदी	साप्ताहिक	3,50,000
27	दि वीक	मलयाला मनोरमा कं.	अंग्रेजी	साप्ताहिक	—
28	पॉवर पोलिटिक्स	पावर पब्लिशर	अंग्रेजी		3,5000

29	टाइम	टाइम एशिया	अंग्रेजी	—	—
30	जीफाइल्स	सर्वश्रेष्ठ मीडिया	अंग्रेजी	—	76,000
31	पहल ए माइलस्टोन	शूरवीर सिंह	हिंदी	मासिक	—
32	प्रथम प्रवक्ता	प्रथम प्रवक्ता	हिंदी	पाक्षिक	—
33	मुस्तकबिल	एस एम शाह नवाज	उर्दू	पाक्षिक	—

अनुबंध III

(ii) फैशन

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	प्रकाशन	भाषा	आवधिकता	परिचालन संख्या
1	लाइफ स्टाइल लिविंग मैग्जीन	मै. एस वी पब्लिशर	अंग्रेजी	मासिक	58000

(iii) वित्तीय एवं आर्थिक

1	फाइनांसियल प्लस	मैसर्स आरूषि कम्युनिकेशन	अंग्रेजी	पाक्षिक	46000
2	बिजनेस वर्ल्ड	एबीपी प्रा. लि.	अंग्रेजी	—	—
3	टुडे इकॉनामिक्स		अंग्रेजी	—	—
4	हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू	एच बी आर	अंग्रेजी	मासिक	
5	दि चार्टर्ड एकाउंटेंट	आई सी ए आई	अंग्रेजी	मासिक	210116
6	बिजनेस एंड इकॉनामी	प्लानमैन मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	37316
7	4 पी बिजनेस एंड मार्केटिंग	प्लानमैन मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	27183
8	बिजनेस इंडिया	अशोक एच अडवानी	अंग्रेजी	—	—
9	बी एफ एम	प्लानमैन मीडिया	अंग्रेजी	—	—
10	एसोचैम बुलेटिन	एसोचैम	अंग्रेजी	—	—
11	चार्टर्ड सेक्रेटरी	आई सी एस आई	अंग्रेजी	—	—
12	बिजनेस टुडे	दि इंडिया टुडे ग्रुप	अंग्रेजी	—	—

(iv) स्पोर्ट्स

1	चेस इंडिया	चेस इंडिया	अंग्रेजी	द्विमाही	1000
2	क्रिकेट भारती		हिंदी	—	—

(v) एन आर आई से संबंधित

1	इंडिया एम्पायर	मैसर्स इंडिया एम्पायर	अंग्रेजी	मासिक	30000
2	साउथ एशिया लाइफ एंड टाइम (साल्ट)		अंग्रेजी	तिमाही	18000

(vi) पी एस यू एवं कार्पोरेट जगत से संबंधित

1	केलेडोस्कोप	स्कोप	अंग्रेजी	मासिक	5000
2	डायरेक्टरी ऑफ दि की		अंग्रेजी	—	—

	एकजीक्यूटिव्स ऑफ पी एस यू				
3	क्वालिटी टाइम्स	इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स	अंग्रेजी	मासिक	3000
4	पब्लिक सेक्टर टुडे	एम कमल खेर रेड्डी	अंग्रेजी		80000
5	ब्यूरोक्रेसी टुडे		अंग्रेजी	मासिक	150000
6	गवर्नेस वाच	प्लानमैन मीडिया	अंग्रेजी	द्विमाही	—
7	उपक्रम	अनिल जैन	अंग्रेजी	—	2000
8	बिज इंडिया	मीडिया इंडिया ग्रुप	अंग्रेजी	—	—
9	आफिसर्स टाइम्स	मैसर्स प्रवीन जाखड़	हिंदी	मासिक	—
(vii) सूचना प्रौद्योगिकी					
1	इंफार्मेटिक्स	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	अंग्रेजी	—	—

अनुबंध III

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	प्रकाशन	भाषा	पीरिऑडीसिटी	स्कूलेशन संस्था
(viii) अवसंरचना एवं वास्तुशिल्प					
1	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर	अंग्रेजी	मासिक	10000
2	ई पी सी वर्ल्ड	ई पी सी वर्ल्ड मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	55250
3	आर्ची डिजाइन	एस के आर्ची डिजाइन एंड मीडिया	अंग्रेजी	द्विमाही	6000
4	इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे	ए एस ए पी पी मीडिया	अंग्रेजी	—	—
5	इंडिया अपडेट	डा. लक्ष्मी श्री राय	अंग्रेजी	—	—
6	इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स सोर्स	प्रॉडक्ट न्यूज पब्लिकेशन	अंग्रेजी	मासिक	15000
7	स्टील एंड मेटलर्जी	निर्मलया मुखर्जी	अंग्रेजी	मासिक	—
(x) संभार तंत्र					
1	लॉजिस्टिक्स टाइम्स	अक्षर गंगा मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	16600
2	स्मार्ट लॉजिस्टिक्स	नेटवर्क 18	अंग्रेजी	—	—
3	ट्रान्स रिपोर्टर	टी सी जी हाउस	अंग्रेजी	मासिक	27000
4	एल ओ जी इंडिया	हैंबर्ग मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	—
(xi) देशज					
1	सिक्किम इनसाइट			तिमाही	5000

2	श्रीगुंडिचा			तिमाही	20000
3	राष्ट्रीय संस्कृति	शिखा गर्ग	हिंदी	मासिक	50000
4	दलित आदिवासी संवाद	सुधीर	हिंदी	मासिक	—
5	दि ओडीशन	आई पी आर ओ सी एच पब्लिकेशंस	अंग्रेजी	—	—
6	महिला अधिकार अभियान	महिला अधिकार अभियान	हिंदी	मासिक	—
7	जयप्रभा	अभय सिन्हा	हिंदी	तिमाही	—
8	महादेव इंफार्मेशन	ममता पांडे	हिंदी	तिमाही	—
9	जनभावना	जनभावना मीडिया	हिंदी	मासिक	—
(xii) मानव संसाधन					
1	ह्यूमन फैक्टर	प्लानमैन मीडिया	अंग्रेजी	—	13987
(xiii) पर्यावरण					
1	नेशनल ज्योग्राफिक	नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी	अंग्रेजी	मासिक	—
2	ग्रीन पोस्ट	एस के छिब्बर	अंग्रेजी	द्विमाही	—
3	जियोस्पेटियल वर्ल्ड	जी आई एस डिवलपमेंट	अंग्रेजी	—	—
4	पर्यावरण विमर्श	आर आर मिश्रा	द्विभाषी	तिमाही	—
(xiv) सामान्य					
1	एकजोटिका	सी एम वाई के प्रिंटेक लि.	अंग्रेजी	—	—
2	हमारा महानगर	महानगर मीडिया	हिंदी	—	—
3	वनिता		हिंदी	—	—
4	कादम्बिनी	एच टी मीडिया	हिंदी	मासिक	300000
5	लाइफ पॉजिटिव	लाइफ पॉजिटिव		—	—
6	प्रतियोगिता दर्पण	पी डी ग्रुप	हिंदी	मासिक	—
7	रीडर डाइजेस्ट	दि इंडिया टुडे ग्रुप	अंग्रेजी	—	—
8	सरिता	दिल्ली प्रेस	हिंदी	द्विमाही	160000
9	कंज्यूमर वाइस	वाइस सोसाइटी	अंग्रेजी	—	—
10	करंट लेबर रिपोर्ट	न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा	अंग्रेजी	—	—
11	रेलबंधु	इंडियन रेलवे	अंग्रेजी	—	—
12	गृहशोभा	दिल्ली प्रेस	हिंदी	द्विमाही	—
13	सुजीवन		हिंदी	—	—
14	एयर इंडिया	मैक्सपोजर मीडिया	अंग्रेजी	मासिक	—
15	सुमन सौरब	दिल्ली प्रेस	हिंदी	—	60000
16	वुमन ऑन टॉप	दिशा भारती मीडिया	अंग्रेजी	—	150000

17	मैट्रो उजाला	दिशा भारती मीडिया	अंग्रेजी	—	—
18	नंदन	एच टी मीडिया	हिंदी	—	—
19	कॉम्पिटिशन रिफ्रेशर इयर बुक 2013	ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन	अंग्रेजी	—	162529
20	कॉम्पिटिशन रिफ्रेशर	ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन	अंग्रेजी	—	162529
21	जूनियर साइंस रिफ्रेशर	ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन	अंग्रेजी	—	111901
22	जनरल नॉलेज रिफ्रेशर	ब्राइट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन	अंग्रेजी	—	82500
23	विस्पर इन द कोरीडोर	विस्पर कोरीडोर मीडिया	अंग्रेजी	—	—
24	हेल्पलाइन टुडे	हेल्पलाइन टुडे	अंग्रेजी	पाक्षिक	—
25	ए एंड एस इंडिया	ऑयल एशिया पब्लिकेशन	अंग्रेजी	—	—
26	क्रिटिक	सन मीडिया सोल्यूशन	अंग्रेजी	मासिक	15000
27	आरोग्य		हिंदी	—	—
28	दि लास्ट संडे	अभिषेक मैनर	अंग्रेजी	मासिक	7000
(xv) ऑनलाइन					
1	जी फाइल				
2	विस्पर इन द कोरीडोर				
3	सिनर्जी ऑनलाइन				
(xvi) टेलीविजन					
1	दूरदर्शन				
2	लोकसभा				
(xvii) रेडियो					
1	94.3 माई एफ एम				
2	94.3 रेडियो वन				
